संख्या–869/चौवालिस–2/94-137/92

प्रेषक,

श्री आर० एस० निगम,
विशेष चिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों
के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 1994

विषय :– बैंकों में धनराशि जमा किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या–1882/44-2/1992, दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 एवं शासनादेश संख्या: 524/44-2-137/92, दिनांक: 27 मई, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुन: विचारोपरान्त सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगमों/निकायों के आर्टिकिल्स आंफ एसोसिएशन के सम्बन्धित आर्टिकिल्स तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह निर्देश देते हैं कि प्रदेश के सहकारी बैंकों पर उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 3 दिसम्बर, 1992 प्रभावी नहीं होगा।

कृपया शासनादेश दिनांक: 6 दिसम्बर, 1992 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
[आर० एस० निगम]
विशेष सचिव।

संख्या–869(1)/44-2-94-137/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–।
(6) वित्त लेखा अनुभाग–।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साहू]
अनुसचिव।